कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

का0आ0सं0 : सम्पदा / आ0आवं0 / 2024–25 / ग– 308 दिनांक : 31 / 12 / 2024

कार्यालय आदेश

वर्ष 2025 के दौरान सरकारी आवास आवंटन हेतु पटना एवं हाजीपुर स्थित भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के छह कार्यालय (i) प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना (ii) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना (iii) प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय), लखनऊ, पटना (iv) वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा, पटना (v) महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ, नई दिल्ली, पटना (vi) महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग की दो स्थानों (महालेखाकार कार्यालय आवासीय परिसर स्थित टाईप II से IV एवं ऑर–ब्लॉक आवासीय कॉलोनी स्थित टाईप I से IV) पर स्थित आवासीय कालोनियों में खाली हुये आवास आवंटन हेतु अपना आवेदन विहित प्रपत्र में भरकर दिनांक 10.01.2025 तक अपने नियंत्रणाधीन प्रशासनिक अनुभाग में जमा करेंगे। तत्पश्चात नियंत्रण अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित आवेदन दिनांक 17.01.2025 तक सम्पदा प्रकोष्ठ, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना में अग्रसारित किया जाएगा। रिक्त आवासों का आवंटन Allotment of Govt. Residences (IA&AD) Rules, 2021 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।

ह0/-
उप महालेखाकार (प्रशासन)

सं0 : सम्पदा / आ0आवं0 / 2024–25 / दिनांक : 31 / 12 / 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के सचिव।
2. सभी स्कंध अधिकारी।
3. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना।
4. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) केन्द्रीय प्रक्षेत्र, पटना।
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन) कार्यालय वित्त एवं संचार लेखापरीक्षा बिहार, गर्दनीबाग रोड नं0 1, पटना–800001.
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएँ वूर्वी कमान पटना–800019
7. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन), कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेल, महाप्रबंधक कार्यालय परिसर, एस0बी0आई ए0टी0एम0 के पीछे हाजीपुर–844101.
8. व.ले.प.अ. / मुख्यालय (AMG-I,II,III,IV,V) से अनुरोध है कि अपने प्रक्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय आदेश का परिचालन करवाना सुनिश्चित करें।
9. व.ले.प.अ. / AMS से अनुरोध है कि कार्यालय के बेबसाइट पर कार्यालय आदेश को प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।
10. सभी व.ले.प.अ.।
11. सूचना पट्ट।

31/12/2024

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / सम्पदा।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

वैसे व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आवास का आवंटन नहीं किया गया है।

वर्ष 2025 के लिए सरकारी आवास आवंटन हेतु आवेदन–पत्र

1. नाम एवं पदनाम (अंग्रेजी के बडे अक्षरों मे) :–
2. कर्मचारी आई0 डी0 सं0 :–
3. कार्यालय एवं अनुभाग :–
4. वर्तमान पे लेवल एवं मूल वेतन :–
5. वर्तमान लेवल पर वेतन निर्धारण की तिथि :–
6. वर्ग (General/SC/ST) :–
7. जेंडर (पुरूष / महिला) :–
8. वैवाहिक स्थिति (Single/Married/Widow/Divorcee) :–
9. स्थाई / अस्थाई :–
10. जन्म तिथि :–
11. सेवानिवृति की तिथि :–
12. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति की तिथि :–
13. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के पटना कार्यालयों में नियुक्ति से पहले केन्द्रीय सरकार के किसी भी सरकारी विभाग में योगदान की तिथि (यदि कोई हो) :–
14. पूर्व के सेवा को नियमित किया गया है :–(हाँ / नहीं) :–
    (यदि हॉ तो कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करें)
15. टाईप जिसके पात्र हैं :–
16. पूर्व स्थानापन्न एवं पत्राचार पता के साथ कार्य स्थल :–
17. आवेदक को सरकारी आवास के आवंटन से कभी वंचित किया गया है, (यदि हॉ, तो कब और किस तिथि तक) :–
18. क्या आवेदक को पूर्व में कोई सरकारी आवास आवंटित किया गया है, (यदि हॉ तो कब और क्यों) :–
19. पूर्व में आवंटित आवास को आवेदक द्वारा अस्वीकृत किया गया है, (यदि हॉ तो कब और क्यों) :–
20. क्या आवेदक द्वारा अपने अथवा अपने दम्पति के नाम पर इस कार्यालय के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर दखल कब्जे में है, यदि हॉ, तो क्वार्टर नं0 एवं स्थापना का नाम :–
21. क्या आवेदक के दम्पति कहीं कार्यरत है, यदि हॉ, तो संगठन का नाम, जहॉ नियुक्त है, के साथ पदनाम, आहरित किये जाने वाले वेतन, आवास भत्ते आदि का विवरण दें :–
22. क्या आवेदक अपने नाम अथवा परिवार के अन्य सदस्य जो आवेदक पर पूरी तरह से आश्रित है, के नाम पर पटना अथवा पार्श्ववर्ती, म्यूनिसीपल क्षेत्र में मकान का स्वामित्व है, यदि हॉ, तो मकान का होल्डिंग नं0 तथा वार्ड (स्थापन सं0 बतावें) :–

23. मकान बनाने के प्रयोजन हेतु गृह निर्माण की राशि, यदि हो तो किस्त नं0 तथा तिथि :–

24. वर्तमान निवास स्थान एवं पता :–

25. क्वार्टर टाईप (आवेदक स्पष्ट करें कि वह पात्रता के अनुसार कौन– सा क्वार्टर टाईप के लिए इच्छुक है) :–

(i) टाईप **I/II/III/IV/V :-**

(ii) आवासीय परिसर (महालेखाकार कार्यालय/आर ब्लॉक):-

टिप्पणी:- क्वार्टर परिवर्तन के लिए नियमतः पृथक आवेदन देना चाहिए।

घोषणा

मैं घोषणा करता /करती हूँ कि –

1. मैंने सरकारी आवासों (भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग) के आवंटन की नियमावली,2006 को पढ़ और समझ लिया हूँ ।
2. मेरे द्वारा दिए गए विवरण सही हैं तथा मुझे आवंटित किए जाने अथवा जो मुझे आवंटित हो चुका है, वह इन नियमों एवं पश्चात्वर्ती यदि कोई हो, के अधीन होंगे।
3. मैं ....एतद् द्वारा घोषणा करता /करती हूँ कि मैं अपने कार्य स्थल (पटना) में पैतृक सहित किसी घर का मालिक नहीं हूँ अथवा पार्श्ववर्ती म्यूनिसीपल क्षेत्र में मेरे अपने नाम से या मेरे पत्नी/पति के नाम से अथवा किसी अन्य आश्रित परिवार के सदस्य के नाम से मकान नही है।
4. मेरे पत्नी/पति सेवायुक्त हैं/नहीं है।
5. आवंटित क्वार्टर में मेरे द्वारा दूसरे किरायेदार नहीं रखे जायेंगे।
6. मैं लाइसेंस फीस भुगतान का उत्तरदायी होउंगा/होउंगी तथा सम्पदा अधिकारी द्वारा आवंटित क्वार्टर का मेरी अस्वीकृति की दशा में रिक्त अवधि की क्षति के अतिरिक्त अन्य प्रकार की कार्रवाई का भागी होउंगा/होउंगी ।

दिनांक :–

कार्यालय ईमेल :–

हस्ताक्षर :–

पदनाम :–

अनुभाग :–

कार्यालय :–

मोबाईल न0 :–

उपरोक्त सूचना कार्यालय अभिलेखों से मिलान किया गया है एवं सही पाया गया।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (प्रशासन)